ग्राम पंचायत घनैटा, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत घनैटा, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "04/21 से 03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सीमा कुमारी	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री मुनीष कुमार	01-04-21 से 31-03-23

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत घनैटा के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	40.65
2.	6	प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट	17.00

		रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया जाना	
3.	7	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.08
4.	9	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि	0.60
5.	13	स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे	0.29
6.	14	ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी राशि से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	21.00

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

प्राय: यह भी देखने में आया है कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों के निपटारे हेतु जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 97 A दिनांक 01.11.23 की अनुपालनार्थ की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त गत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2019 से 03/2021" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹6400 प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 4.1	अनिर्णीत	
4	पैरा 4.2	अनिर्णीत	
5	पैरा 5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित
6	पैरा 5 (2)	निर्णीत	पैरे में शामिल राशि ₹200 की रसीद संख्या 0482230 दिनांक 08-11-23 के अन्तर्गत

			की गई वसूली की पुष्टि उपरान्त
7	पैरा 6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित
8	पैरा 7	अनिर्णीत	
9	पैरा 8	अनिर्णीत	
10	पैरा 9	अनिर्णीत	
11	पैरा 10	अनिर्णीत	
12	पैरा 11	निर्णीत	पत्र संख्या GP/GH/AR-32 दिनांक 08.11.23 के अन्तर्गत प्रस्तुत सटिप्पण उत्तर एवं प्रस्तुत अभिलेख की पुष्टि उपरान्त
13	पैरा 12	अनिर्णीत	
14	पैरा 13	अनिर्णीत	
15	पैरा 14	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत घनैटा, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03 /2023" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री विशाल शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 06-11-2023 से 09-11-2023 के दौरान पंचायत कार्यालय, घनैटा में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	03/22	03/22
2022-23	03/23	05/22

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्क**:-

ग्राम पंचायत घनैटा, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹6,400/-** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 94 दिनांक 09.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत घनैटा से अनुरोध किया गया।

4. **वित्तीय स्थिति**:-

ग्राम पंचायत घनैटा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(क) स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत घनैटा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	492918.8	129083.00	622001.8	38919.00	583082.80
2022-23	583082.80	97029.00	680111.8	52742.00	627369.8

टिप्पणी :- अंकेक्षण अवधि 04/2019 से 03/2021 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चूक के कारण ₹92422/-, खाता न० 20138003314 को नहीं दिखाया गया था जिसे वर्तमान अंकेक्षण में सभा निधि के आरम्भिक शेष 492918.8 (400496.8+92422) में शामिल किया गया है।

(ख) अनुदान:- ग्राम पंचायत घनैटा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	4071755.83	5412989.00	9484744.83	5163988.85	4320755.98
2022-23	4320755.98	5922310.81	10243066.79	6178337.95	4064728.84

(ग) दिनाकं 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	**General/SDRF/VMJS/5TH**	KCC	20138003267	699422.55
2.	**General/14 FC/5TH**	KCC	20138003325	280349.14
3.	**General**	Kcc	20138003314	98456.00
4.	**General**	Kcc	50071214779	104373.00
5.	**15 FC**	HDFC	50100357833728	2171327.49
6.	**ZP**	KCC	50061743715	59918
7.	**VKVNY**	KCC	50061743715	289066.00
8.	**VKVNY**	HDFC	17361450001056	387302.41
9.	**SDP**	KCC	50061743748	5514.00
10.	**MPLAD**	KCC	50061743793	42868.00
11.	**NC**	SBI	32149074919	122515
12.	**NC**	HDFC	·17361450000470	0.00
13.	**PS**	KCC	50061743668	84034.45
14.	**PS**	HDFC	17361450001073	0.00
15.	**IAY**	HDFC	17361450001049	0.00
16.	**IAY**	HDFC	17361450000460	0.00
17.	**SDP**	HDFC	17361450001083	0.00
18.	**SDP**	HDFC	17361450000443	0.00
19.	**MPLAD**	HDFC	17361450000453	0.00

20.	**RGSA**	HDFC	50100341105527	8685.60
21.	**BMC**	KCC	20138003303	93388.00
22.	**ZP**	HDFC	17361450000878	0.00
23.	**14TH**	IDBI	706104000040956	244377.00
	हस्तगत रोकड़			894.00
	कुल योग			4692490.64

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	4692490.64
दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	4692098.64
अंतर	**392**

4.2 रोकड़ वही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.004 लाख का अन्तर पाया जाना :-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण द्वारा जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31-03-22 को ₹392 की राशि का अन्तर पाया गया । पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अत: इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय

तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 लेखा खाता /खाता बही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ है।

अत: वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

5. अनुदान राशि ₹40.65 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-क)** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान राशि **₹4064728.84** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा, जोकि हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100(1) दिनांक 09.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत घनैटा से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/GH/DR-33 दिनांक 09.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वर्णित शेष अनुदान राशियों के सम्बन्ध में तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये इनको यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में ₹17 लाख का भारी अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम. एम. पी.) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं/सामान खरीद/भुगतान सम्पति इत्यादि का इन्द्राज करना था।

अभिलेखों में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्शायी गई प्राप्ति व व्यय के आंकड़ों व पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये मैनुअल रोकड़ बही के आंकड़ों में निम्न अंतर पाया गया:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार मासिक खर्च में अंतर (Except MNREGA):-

क्रम स.	माह	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	03/22	252140.00	315033.00	62893.00	482810.50	530550.50	47740.00
2	05/22	800.00	1496.00	696.00	323189.00	568274.00	245085.00
3	08/22	522280.00	194103.40	328177.00	116461.00	180194.00	63733.00

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक खर्च में अंतर (Except MNREGA):-

क्रम स.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	21-22	2730561.00	2668582.00	61979.00	2329638.85	2329417.85	221.00
2	22-23	2848175.00	3151339.41	303164.41	3052963.06	3363079.55	310116.49

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है (Except MNREGA):-

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)	अंतर
2022-23	6386842.85 + 5894 (Cash in Hand) = 6392736.85	4692490.64	1700246.21

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100(3) दिनांक 09.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/GH/DR-33 दिनांक 09.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.08 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 33 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखें और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-23 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹7900/- के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	728	50	63620	36400	100020	73690	26330
2022-23	732	50	26330	36600	62930	55030	7900

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके। अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100(2) दिनांक 09.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी

अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/GH/DR-33दिनांक 09.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8. पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:-

प्रधान सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)96 दिनांक 21 जून 2017 के पैरा 3.4 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर की स्थापना पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ₹4000 से बढ़ाकर ₹10000 स्थापना शुल्क एवम प्रतिवर्ष ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है । पैरा 3.4 (ii) के अनुसार हर 5 साल के पूरा होने पर नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ौत्तरी की जाएगी। पैरा 3.4 (iv) के अनुसार कोई भी मोबाईल टावर कम्पनी यदि अतिरिक्त अन्टेना किसी स्थापित टावर पर लगाएगी तो उसे वार्षिक शुल्क का 60% नवीनीकरण देना होगा।

इसके अतिरिक्त पैरा 3.4 (vi) के अनुसार यदि कोई मोबाइल टावर कम्पनी नोटिस की तिथि से 30 दिन के अंदर शुल्क नहीं चुकाती है तो उसे प्रति सप्ताह 5% दंड शुल्क भी चुकाना होगा परन्तु यदि लम्बित राशि नोटिस की तिथि से दो माह तक भी नहीं चुकाई जाती है तो ग्राम पंचायत सम्बन्धित कम्पनी की अनुमति रद्द करने बारे नोटिस जारी कर सकती है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2021-2022 के दौरान पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मोबाइल टावर कंपनी से वसूली योग्य राशि की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की सकी जो पंचायती राज (वित्त) नियम 2002 के नियम 79(2) की स्पष्ट उलंघना है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100(4) दिनांक 09.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमिता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में व उनके प्रतिउतर संख्या GP/GH/DR-33 दिनांक 09.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत कर दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9. **खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राशि ₹0.60 लाख की राजस्व हानि:-**

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹60245/- का अनियमित भुगतान किया गया था:-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि (₹)
रेत	38.94	1.62	63.08	60	3785
बजरी	67.96	1.52	103.29	60	6197
पत्थर	58.05	2.24	130.03	60	7802
रेत	53.24	1.62	86.24	80	6899
बजरी	97.59	1.52	148.34	80	11867
पत्थर	64.99	2.24	145.58	80	11646
				कुल योग	**48196**
				पेनल्टी 25%	**12049**
				कुल योग	**60245**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 101(5) दिनांक 09.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GH/DR-33 दिनांक 09.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण रॉयल्टी की गणना नहीं की जा सकी।

अतः ₹60245/- के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जाँचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

10. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है।

क्र° स°	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)
1.	2021-22	03/2022	**756639.50**
2.	2022-23	05/2022	**1122509.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 101(6) दिनांक 09.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GH/DR-33 दिनांक 09.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

परन्तु अंकेक्षण हेतु चयनित माह 03/22 व 05/22 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 03/22 व 05/22 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 101(7) दिनांक 09.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GH/DR-33दिनांक 09.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

12. ₹500/- का मानदेय के रूप में पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि की रोकड़ बही के वाउचर संख्या 0 दिनांक 22-04-22 को ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 10/2021 से 03/2022 के लिए मानदेय का भुगतान किया गया था परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि इस अवधि के दौरान ₹500/- का पंचायत सदस्यों को अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	वार्ड पंच का नाम	पंचायत बैठकों की अवधि	कुल बैठकें	प्रस्तुत वाउचर अनुसार भुगतान की गई राशि	पंचायत बैठकों के दौरान कुल वास्तविक उपस्थिति	वास्तविक भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
1	शारदा देवी	10/2021 से 03/2022	12	(12X250) =3000	11	(11X250) =2750	250
2	कमलजीत	10/2021 से 03/2022	12	(12X250) =3000	11	(11X250) =2750	250
			कुल योग				**500**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100(5) दिनांक 09.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GH/DR-33 दिनांक 09.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

13. ₹0.29 लाख स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार प्रत्येक खरीद की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹28555/- के स्टॉक की प्रविष्टि नहीं की गई थी :-

क्रम संख्या	बिल/वा० संख्या, वर्ष/माह	फर्म का नाम	विवरण	राशि
1.	759, दिनांक 21.05.22	मै. गणेश इंडस्ट्रीज	मनरेगा साइन बोर्ड (2'x 3')	1600
2.	760, दिनांक 21.05.22	मै. गणेश इंडस्ट्रीज	मनरेगा साइन बोर्ड (2'x 3')	1600
3.	761, दिनांक 21.05.22	मै. गणेश इंडस्ट्रीज	मनरेगा साइन बोर्ड (2'x 3')	1600
4.	762, दिनांक 21.05.22	मै. गणेश इंडस्ट्रीज	मनरेगा साइन बोर्ड (2'x 3')	1600
5.	763, दिनांक 21.05.22	मै. गणेश इंडस्ट्रीज	मनरेगा साइन बोर्ड (2'x 3')	1600
6.	764, दिनांक 21.05.22	मै. गणेश इंडस्ट्रीज	मनरेगा साइन बोर्ड (2'x 3')	1600
7.	0357, दिनांक 21.05.22	मै. गणेश इंडस्ट्रीज	मनरेगा साइन बोर्ड	1600

			(2'x 3')	
8.	0358, दिनांक 21.05.22	मै. गणेश इंडस्ट्रीज	मनरेगा साइन बोर्ड (2'x 3')	1600
9.	0359, दिनांक 21.05.22	मै. गणेश इंडस्ट्रीज	मनरेगा साइन बोर्ड (2'x 3')	1600
10.	123, दिनांक 07.03.22	मै. भटनागर इलेक्ट्रोनिक्स	इलेक्ट्रिकल फिटिंग मटेरियल	2295
11.	127, दिनांक 07.03.22	मै. भटनागर इलेक्ट्रोनिक्स	इलेक्ट्रिकल फिटिंग मटेरियल	3457
12.	145, दिनांक 22.03.22	मै. भटनागर इलेक्ट्रोनिक्स	इलेक्ट्रिकल फिटिंग मटेरियल	2725
13.	148, दिनांक 22.03.22	मै. भटनागर इलेक्ट्रोनिक्स	इलेक्ट्रिकल फिटिंग मटेरियल	2918
14.	155, दिनांक 25.03.22	मै. गर्ग प्रिंटर्स	स्टेशनरी	1800
15.	156, दिनांक 25.03.22	मै. गर्ग प्रिंटर्स	स्टेशनरी	960
कुल योग				**28555**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 101(9) दिनांक 09.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GH/DR-33 दिनांक 09.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी राशि ₹21.00 लाख से सम्बन्धित माप पुस्तिका न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक (कों) सुसंगत

अभिलेख/रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी राशियों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके आभाव में भुगतान की गई राशि के व्यय की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। निर्माण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि
1.	निर्माण कार्य मुरम्मत रास्ता कमल के घर से प्रीतम के घर की ओर	14FC	150000
2.	निर्माण कार्य, अपवर्धन जीप योग्य पुली बलदेव कपूर के घर के पास	14FC	150000
3.	निर्माण कार्य पूर्ती/अपवर्धन पंचायत घर	14FC	500000
4.	निर्माण कार्य: रिपेयर जीप रोड़ सिपहियाँ बस्ती गाँव लुदरा	VKVNY	150000
5.	निर्माण पुली वार्ड न० 1 गाँव चाहड पुल	SDRF	100000
6.	Repair of damaged road alongwith pulli over covering nallah near the house of Sher Singh House	SDRF	100000
7.	निर्माण अपवर्धन पंचायत घर	RGSA	500000
8.	निर्माण लोक मित्र केंद्र	RGSA	500000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 101(10) दिनांक 09.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GH/DR-33दिनांक 09.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये वांछित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

15. मापन पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों से नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, सकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जाँच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि	माप पुस्तिका व पेज संख्या
1	निर्माण रास्ता कुहल कथूल से लेकर मस्त राम के घर ओर वार्ड न० 4	15FC	60000	12435/96-97
2.	निर्माण रास्ता घराणु वस्ती वार्ड न० 5 में सड़क से सुनील, चैन सिंह के घर तक	15FC	75000	12435/63-64
3.	मुरम्मत रास्ता वार्ड न० 3 नज़दीक जयकर्ण हाउस गद्दी बस्ती	15FC	50000	12435/65-66

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 101(8) दिनांक 09.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GH/DR-33दिनांक 09.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

16 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख-रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 101(11) दिनांक 09.11.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/GH/DR-33 दिनांक 09.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(14)
4.	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
5.	बिल रजिस्टर	13	48
6.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए.बी)
7.	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी,डी)
8.	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

17. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

18 **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

19 **निष्कर्ष**:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

0 6 JAN 2024

का०/प्रति

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

239-243

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)327/2022–खण्ड–1 दिनॉक, शिमला–09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय लोक लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत धनैटा, विकास खण्ड भवारना, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

0 6 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT GHANETA BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA PINCODE 176060

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	493310.8	129083.00	622393.8	38919.00	583474.80

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK

Note-Due to ommission, bank account No 20138003314 amt to Rs. 92422/- had not been reflected during last audit by the GP.

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT GHANETA BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA PINCODE 176060

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	583474.80	97029.00	680503.8	52742.00	627761.8

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK

PRADHAN

SECY

GRAM PANCHAYAT GHANETA
DEV BLOCK BHAWARNA, KANGRA H.P.

21

परिशिष्ट - क

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP GHANETA BLOCK BHAWARNA FOR THE YEAR 2021-22

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	1615798.00	17159.00	1632957.00	327958.00	1304999.00
2	MGNREGA	0.00	2873490.00	2873490.00	2873490.00	0.00
3	ZP	61190.00	1892.00	63082.00	0.00	63082.00
4	5TH FC	242749.00	290206.00	532955.00	305025.15	227929.85
5	NC	141847.00	3947.00	145794.00	0.00	145794.00
6	MPLAD	139749.00	52481.00	192230.00	132734.00	59496.00
7	RGSY	506094.00	498579.00	1004673.00	759047.40	245625.60
8	VKVNY	305539.00	138610.00	444149.00	132141.3	312007.70
9	SDRF	248553.50	104985.00	353538.50	102373.50	251165.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PS	3033.00	109.00	3142.00	0.00	3142.00
12	IAY	131448.40	4991.00	136439.40	0.00	136439.40
13	VMJSY	68838.50	347042.00	415880.50	409063.50	6817.00
14	SDP	29752.43	188824.00	218576.43	110708.00	107868.43
15	BMC	88126.00	2673.00	90799.00	0.00	90799.00
16	15TH FC	489038.00	888001.00	1377039.00	11448.00	1365591.00
	TOTAL	4071755.83	5412989.00	9484744.83	5163988.85	4320755.98

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP GHANETA BLOCK BHAWARNA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	1304999.00	7176.00	1312175.00	1013803.66	298371.34
2	MGNREGA	0.00	2868000.40	2868000.40	2868000.40	0.00
3	ZP	63082.00	1808.00	64890.00	4972.00	59918.00
4	5TH FC	227929.85	365014	592943.85	327000	265943.85
5	NC	145794.00	4258.00	150052.00	27537.00	122515.00
6	MPLAD	59496.00	2730	62226.00	52462	9764.00
7	RGSY	245625.60	1425.00	247050.60	238365.00	8685.60
8	VKVNY	312007.70	570869.41	882877.11	257662	625215.11
9	SDRF	251165.00	205781.00	456946.00	142431.00	314515.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PS	3142.00	121470.00	124612.00	40577.55	84034.45
12	IAY	136439.40	4130.00	140569.40	140569.40	0.00
13	VMJSY	6817.00	0.00	6817.00	0.00	6817.00
14	SDP	107868.43	60075.00	167943.43	163709.43	4234.00
15	BMC	90799.00	2589.00	93388.00	0.00	93388.00
16	15TH FC	1365591.00	1706985.00	3072576.00	901248.51	2171327.49
	TOTAL	4320755.98	5922310.81	10243066.79	6178337.95	4064728.84

GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 4320755.98

Pradhan

Secy

Gram Panchayat Ghaneta
Dev. Block Bhawarna, Kangra H.P.

J.A

(22)

BANK DETAIL OF GP GHANETA BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-21

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/SDRF/VMJS/5TH	KCC	20138003267	722165
2	General/14 FC/5TH	KCC	20138003325	1624036
3	General	KCC	20138003314	92422
4	15 FC	HDFC	50100357833728	489038.00
5	RGSA	KCC	50061743715	56540.00
6	VKVNY	KCC	50061743715	177800
7	VKVNY	HDFC	17361450001056	127739
8	SDP	KCC	50061743748	6676.00
9	MPLAD	KCC	50061743793	90691
10	NC	SBI	32149074919	116096.00
11	NC	HDFC	17361450000470	25751
12	PS	KCC	50061743668	898
13	PS	HDFC	17361450001073	2135.00
14	IAY	HDFC	17361450001049	98116
15	IAY	HDFC	17361450000460	33332.41
16	SDP	HDFC	17361450001083	22518
17	SDP	HDFC	17361450000443	558.43
18	MPLAD	HDFC	17361450000453	49058
19	RGSA	HDFC	50100341105527	506094
20	BMC	KCC	20138003303	88126
21	ZP	HDFC	17361450000878	4650
22	14TH	IDBI	706104000040956	230235
23	CASH IN HAND			392
			TOTAL	4565066.84

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/SDRF/VMJS/5TH	KCC	20138003267	598058.55
2	General/14 FC/5TH	KCC	20138003325	1624036.14
3	General	kcc	20138003314	95726.00
4	General	kcc	50071214779	74140.00
5	15 FC	HDFC	50100357833728	1365591.00
6	ZP	KCC	50061743715	58256.00
7	VKVNY	KCC	50061743715	217087.00
8	VKVNY	HDFC	17361450001056	131614.00
9	SDP	KCC	50061743748	85543.00
10	MPLAD	KCC	50061743793	41679.00
11	NC	SBI	32149074919	119262.00
12	NC	HDFC	17361450000470	26532.00
13	PS	KCC	50061743668	121545.00
14	PS	HDFC	17361450001073	2200.00
15	IAY	HDFC	17361450001049	101093.00
16	IAY	HDFC	17361450000460	34344.44
17	SDP	HDFC	17361450001083	23031.00
18	SDP	HDFC	17361450000443	574.43
19	MPLAD	HDFC	17361450000453	50547.00
20	RGSA	HDFC	50100341105527	241891.60
21	BMC	KCC	20138003303	90799.00
22	ZP	HDFC	17361450000878	4791.00
23	14TH	IDBI	706104000040956	237201.00
	CASH IN HAND			993.00
			TOTAL	5346535.16

J.A

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT GHANETA

BLOCK BHAWARNA KANGRA H.P.

23

BANK DETAIL OF GP SALOH BLOCK GHANETA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/SDRF/VMJS/5TH	KCC	20138003267	699422.55
2	General/14 FC/5TH	KCC	20138003325	280349.14
3	General	kcc	20138003314	98456.00
4	General	kcc	50071214779	104373.00
5	15 FC	HDFC	50100357833728	2171327.49
6	ZP	KCC	50061743715	59918
7	VKVNY	KCC	50061743715	289066.00
8	VKVNY	HDFC	17361450001056	387302.41
9	SDP	KCC	50061743748	5514.00
10	MPLAD	KCC	50061743793	42868.00
11	NC	SBI	32149074919	122515
12	NC	HDFC	17361450000470	0.00
13	PS	KCC	50061743668	84034.45
14	PS	HDFC	17361450001073	0.00
15	IAY	HDFC	17361450001049	0.00
16	IAY	HDFC	17361450000460	0.00
17	SDP	HDFC	17361450001083	0.00
18	SDP	HDFC	17361450000443	0.00
19	MPLAD	HDFC	17361450000453	0.00
20	RGSA	HDFC	50100341105527	8685.60
21	BMC	KCC	20138003303	93388.00
22	ZP	HDFC	17361450000878	0.00
23	14TH	IDBI	706104000040956	244377.00
	CASH IN HAND			894.00
			TOTAL	4692490.64

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT GHANETA

BLOCK BHAWARNA KANGRA H.P.

J.A

24

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT GHANETA BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2021-22	728	50	63620	36400	100020	73690	26330

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT GHANETA BLOCK BHAWARNA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	732	50	26330	36600	62930	55030	7900

PRADHAN
GRAM PANCHAYAT GHANETA
BLOCK BHAWARNA, KANGRA HP

(25)